web: www.nyaysakshi.com ‖ पृष्ठ-2 में पढ़ें संपादकीय-खेल-व्यापार-धर्म-खाना खजाना-राशिफल ‖ पृष्ठ-3 में पढ़ें छत्तीसगढ़-प्रादेशिक

दैनिक

न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, शनिवार 26 जून 2021 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-03, अंक- 266

जम्मू-कश्मीर में 26 साल बाद परिसीमन करा रही है सरकार

नई दिल्ली (आरएनएस)। जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक दलों के 14 नेताओं से मुलाकात के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने नए बने केंद्र शासित प्रदेश में परिसीमन को जरूरी बताया है। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता यह है कि जम्मू-कश्मीर में जमीनी तौर पर लोकतंत्र को मजबूत किया जाए। इसके लिए परिसीमन तेजी से कराए जाने की जरूरत है ताकि चुनाव हो सकें और जम्मू-कश्मीर को चुनी हुई सरकार मिल सके। इससे विकास में भी तेजी आ सकेगी।

पीएम की इस मीटिंग से पहले ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि मोदी सरकार की ओर से परिसीमन का एजेंडा रखा जा सकता है। बता दें कि परिसीमन आयोग का सरकार की ओर से पहले ही गठन किया जा चुका है और उसने नए बने केंद्र शासित प्रदेश का सर्वे शुरू कर दिया है। जनसंख्या के आधार पर समय-समय पर विधानसभा और लोकसभा सीटों का परिसीमन किया जाता है। इसके तहत विधानसभा और लोकसभा सीटों के क्षेत्र का पुनर्गठन होता है। आबादी और क्षेत्रफल के अनुसार यह होता है। यह काम परिसीमन आयोग की ओर से किया जाता है और उसके फैसले को किसी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसे जनगणना के नवीनतम आंकड़ों के आधार पर किया जाता है ताकि सभी सीटों का बंटावारा व्यवहारिक हो। सीटों के क्षेत्रफल के अलावा इसके चलते कई बार राज्य में विधानसभा या लोकसभा की सीटों में भी बदलाव हो जाता है।

❒ **जम्मू-कश्मीर में कब हुआ था आखिरी बार परिसीमन-** जम्मू-कश्मीर की लोकसभा सीटों का परिसीमन तो पूरे देश के साथ ही होता रहा है, लेकिन विधानसभा सीटों का परिसीमन आखिरी बार 1995 में हुआ था। इसकी वजह यह थी कि आर्टिकल 370 लागू होने के चलते प्रदेश की विधानसभा का परिसीमन राज्य के संविधान के तहत तय होता था। वहीं लोकसभा सीटों के परिसीमन के लिए भारतीय संविधान ही लागू होता था। जम्मू-कश्मीर में आजादी के बाद से अब तक तीन बार 1963, 1973 और 1995 में ही विधानसभा सीटों का परिसीमन हुआ था। आखिरी बार 1995 में जब परिसीमन हुआ था, तब राज्य में गवर्नर रूल था और 1981 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर किया गया था। राज्य में 1991 में जनगणना ही नहीं हुई थी और फिर 2001 की जनगणना के बाद कोई परिसीमन नहीं हुआ। यहां तक विधानसभा से एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी, जिसमें परिसीमन पर 2026 तक के लिए रोक की बात थी।

❒ **जम्मू-कश्मीर में परिसीमन के बाद क्या बदलेगा-** राज्य की विधानसभा सीटों के परिसीमन पर रोक के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। लेकिन अब 5 अगस्त, 2019 में आर्टिकल 370 हटाए जाने और राज्य के पुनर्गठन के बाद नए नियम लागू हैं और उसके तहत परिसीमन कभी भी केंद्र सरकार द्वारा कराया जा सकता है। राज्य के पुनर्गठन से पहले कुल 111 विधानसभा सीटें थीं, जिनमें से 46 कश्मीर में थीं और 37 सीटें जम्मू के पास थीं। वहीं लद्दाख में 4 सीटें आती थीं। इसके अलावा 24 सीटें पीओके के लिए आरक्षित थीं। विधानसभा सीटों के इस बंटवारे को लेकर बीजेपी समेत कई राजनीतिक दल आपत्ति जताते रहे हैं। उनका कहना था कि इसके तहत जम्मू में कम सीटें आती हैं, जबकि वहां आबादी कश्मीर के मुकाबले अधिक है। इसीलिए अब कहा जा रहा है कि नए परिसीमन के बाद कश्मीर के मुकाबले जम्मू में सीटें अधिक हो सकती हैं।

❒ **परिसीमन आयोग का कब हुआ गठन और कौन हैं शामिल-** केंद्र सरकार की ओर से 6 मार्च, 2020 को जम्मू-कश्मीर में परिसीमन के लिए आयोग का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रंजन प्रकाश देसाई कर रहे हैं। इस आयोग को परिसीमन के लिए एक साल का समय दिया गया था, लेकिन कोरोना संकट के चलते इसे एक साल के लिए और बढ़ाया गया है। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के मुताबिक राज्य में केंद्र शासित प्रदेश में 107 से 114 सीटें हो सकती हैं। इससे यह माना जा रहा है कि जम्मू क्षेत्र को फायदा होगा। आयोग में देसाई के अलावा चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा, जम्मू-कश्मीर के चुनाव आयुक्त केके शर्मा को शामिल किया गया है। इसके अलावा आयोग में 5 एसोसिएट मेंबर भी हैं। इनमें फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन, हसनैन मसूदी, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और बीजेपी के नेता जुगल किशोर शर्मा शामिल हैं।

महत्वपूर्ण एवं खास

बस को ट्रक ने मारी टक्कर, 4 की मौत, 15 घायल

मुजफ्फरपुर (आरएनएस)। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के मीनापुर थाना के पानापुर ओपी क्षेत्र के नडियार गांव में आज सुबह एक बस और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 10 लोगों के घायल होने खबर है। घटना मीनापुर के पानापुर ओपी के नडियार गांव के पास एनएच-28 पर हुई है। सभी घायलों को एसकेएमसीएच में इलाज के लिए भेज दिया गया है। मृतकों के शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस हादसे में बस और ट्रक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। एएसपी (वेस्ट) सैयद इमरान मसूद ने बताया कि बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर हुई है, जिसमें चार लोगों की मौत हुई है। बस बारात की है। गायघाट से मोतीपुर क्षेत्र में बस से बारात आई थी और लौटते वक्त एक होटल पर बस रुकी हुई थी। बस के पीछे भी कुछ लोग खड़े थे। इसी दौरान पीछे से आ रहे एक बेकाबू ट्रक ने खड़े लोगों को कुचल दिया और बस में भी जोरदार धक्का मारा। इसके बाद ट्रक भी दुर्घटनाग्रस्त होकर वहीं पलट गई। ट्रक का चालक और खलासी फरार हो गया हैं। मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। एनएच 28 पर एक लेन में आवागमन बाधित है, जिसे चालू कराने में पुलिस जुटी हुई है। घटना की सूचना पीड़ित परिवारों को दे दी गई है।

दिल्ली पुलिस ने रॉबर्ट वाड्रा की गाड़ी का काटा चालान

नई दिल्ली (आरएनएस)। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा के वाहन पर खतरनाक और लापरवाही से वाहन चलाने के लिए चालान काटा है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, वाड्रा की कार को दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के बारापुल्ला फ्लाईओवर पर पीछे से टक्कर मारी गई। उन्होंने अचानक ब्रेक लगाई थी, जिसके बाद चालान जारी किया गया। वाड्रा बीती सुबह अपने कार्यालय जा रहे थे, जबकि उनके साथ उनके सुरक्षाकर्मी एक अन्य वाहन में सवार थे। अचानक वाड्रा ने ब्रेक लगाया, जिसके परिणामस्वरूप उनकी सुरक्षा टीम के वाहन ने उनकी कार को पीछे से टक्कर मार दी। उन्होंने कहा कि घटना के बाद यातायात पुलिस ने चालान जारी किया।

पीएम ने आपातकाल के ख़िलाफ आवाज़ उठाने वालों को किया याद

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन सभी महानुभावों को याद किया जिन्होंने आपातकाल के ख़िलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की और भारतीय लोकतंत्र की रक्षा की। आपातकाल की वर्षगांठ पर ट्वीट की एक श्रृंखला में, प्रधानमंत्री ने कहा,आपातकाल के उन बुरे दिनों को कभी नहीं भुलाया जा सकता। 1975 से 1977 की समयावधि संस्थानों के सुनियोजिततरीके से विनाश की साक्षी रही है। आइए हम भारत की लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास करेंऔर हमारे संविधान में निहित मूल्यों पर खरा उतरनें का संकल्प लें। इस तरह से कांग्रेस ने हमारे लोकतांत्रिक लोकाचार का दमन किया। हम उन सभी महानुभावों को याद करते हैं जिन्होंने आपातकाल का विरोध करते हुए भारतीय लोकतंत्र की रक्षा की।

अगले तीन दिनों में राज्यों को मिलेगी कोरोना की अतिरिक्त डोज

नई दिल्ली (आरएनएस)। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क कोविड वैक्सीन प्रदान करके उन्हें समर्थन दे रही है और कोरोना टीके की 47 लाख से अधिक डोज तैयार हैं जो अगले तीन दिनों के भीतर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिल जायेंगी।

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार केंद्र सरकार देश भर में कोविड-19 टीकाकरण का दायरा बढ़ाने और टीके लगाने की गति को तेज करने के लिये प्रतिबद्ध है। कोविड-19 के टीकों की सर्व-उपलब्धता का नया चरण 21 जून, 2021 से शुरू किया गया है। टीकाकरण अभियान को अधिक से अधिक वैक्सीन की उपलब्धता के जरिये बढ़ाया गया। इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की उपलब्धता के बारे में पूर्व सूचना प्रदान की गई, ताकि वे बेहतर योजना के साथ टीके लगाने का बंदोबस्त कर सकें और टीके की आपूर्ति श्रृंखला को दुरुस्त किया जा सके। टीकों की सर्व-उपलब्धता के नये चरण में, केंद्र सरकार वैक्सीन निमार्ताओं से 75 प्रतिशत टीके खरीदकर उन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क प्रदान करेगी। केंद्र सरकार द्वारा निशुल्क और राज्यों द्वारा सीधी खरीद व्यवस्था के तहत अब तक वैक्सीन की 3054 करोड़ से अधिक (30,54,32,450) डोज राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदान की गई हैं। शुक्रवार सुबह आठ बजे तक उपलब्ध आंकड़ों के हिसाब से उपरोक्त डोज में से बेकार हो जाने वाली डोज को मिलाकर कुल 29,04, 04,264 डोज की खपत हो चुकी है।

नारद केस : सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को किया रद्द

» ममता को आवेदन दाखिल करने के दिए निर्देश

नई दिल्ली (आरएनएस)। सुप्रीम कोर्ट ने नारद मामले को स्थानांतरित करने की सीबीआई की अर्जी पर दाखिल किए गए पश्चिम बंगाल राज्य, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कानून मंत्री मलय घटक के जवाबी हलफनामे स्वीकार नहीं करने का कलकत्ता उच्च न्यायालय आदेश शुक्रवार को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति विनीत शरण और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की आवकाशकालीन पीठ ने उच्च न्यायालय के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय पीठ से आग्रह किया कि सीबीआई की याचिका पर फैसला करने से पहले पश्चिम बंगाल राज्य, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कानून मंत्री मलय घटक के आवेदनों पर नए सिरे से विचार करे।

शीर्ष अदालत तीन अपीलों पर सुनवाई कर रही थी जिसमें नारद स्टिंग से जुड़े मामले में सीबीआई द्वारा 17 मई को तृणमूल कांग्रेस के चार नेताओं की गिरफ्तारी के दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कानून मंत्री मलय घटक की भूमिका पर उन्हें हलफनामे दाखिल करने की अनुमति देने से कलकत्ता उच्च न्यायालय के इनकार के खिलाफ राज्य सरकार की अपील भी शामिल है। कोर्ट ने ममता, पश्चिम बंगाल सरकार और कानून मंत्री को हाईकोर्ट में नया आवेदन दाखिल करने को कहा। आरोप लगाया गया है कि राज्य के सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने मामले में चारों नेताओं की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई को अपना वैधानिक कर्तव्य निभाने में अड़चन डालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। उच्च न्यायालय के आदेश पर सीबीआई ने नारद स्टिंग मामले में मंत्री सुब्रत मुखर्जी और फरहाद हकीम, तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा और कोलकाता के पूर्व महापौर शोभन चटर्जी को गिरफ्तार किया था।

ईडी ने आदर्श समूह, रिद्धि सिद्धि ग्रुप की 365.94 करोड़ रुपये की संपत्ति की कुर्क

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज कहा कि एजेंसी ने आदर्श ग्रुप ऑफ कंपनीज, फर्मो, एलएलपी, रिद्धि सिद्धि ग्रुप ऑफ कंपनीज, फर्मो, एओपी और अन्य की 365.94 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है। ईडी ने कहा कि संलग्न अचल और चल संपत्ति राजस्थान, हरियाणा और नई दिल्ली में स्थित कृषि, आवासीय, वाणिज्यिक भूमि पार्सल और सावधि जमा, बचत बैंक खातों में शेष राशि के रूप में है।

ईडी ने विशेष अभियान समूह, राजस्थान पुलिस द्वारा मुकेश मोदी, राहुल मोदी और आदर्श समूह के अन्य लोगों, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (एसीसीएसएल) के अधिकारियों और अन्य निजी व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मामला दर्ज किया।

अधिकारी ने कहा कि ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग की जांच से पता चला है कि मुकेश मोदी ने अपने रिश्तेदारों वीरेंद्र मोदी, राहुल मोदी, रोहित मोदी, आदि के साथ मिलीभगत की और सोसायटी के अधिकारियों सहित सहयोगियों ने एसीसीएसएल से जमाकताओं के धन को इंटर लिंक्ड धोखाधड़ी लेनदेन के माध्यम से निकाल दिया।

उन्होंने कहा कि मुकेश मोदी, उनके रिश्तेदारों और सहयोगियों ने कई कंपनियों, फर्मो, एलएलपी को एसीसीएसएल से धोखाधड़ी वाले ऋणों का लाभ उठाकर उनके रियल एस्टेट कारोबार में पैसा लगाने के एकमात्र उद्देश्य के लिए शामिल किया।

उन्होंने कहा, मुकेश मोदी ने इन कंपनियों में एसीसीएसएल से शेयर पूंजी के रूप में भारी आय का भी उपयोग किया। इसके अलावा, बड़ी राशि को अपने स्वयं के रिश्तेदारों और कंपनियों / फर्मों को अधिक वेतन, प्रोत्साहन और कमीशन के माध्यम से हटा दिया गया था। मुकेश मोदी और अन्य ने समाज को भारी नुकसान पहुंचाया और 20 लाख निवेशकों को उनकी जीवन भर की बचत से वंचित कर दिया।

इससे पहले ईडी ने सात अक्टूबर 2019 को छह राज्यों में 1,489.03 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।

ईडी ने इस साल 31 मार्च को पीएमएलए अधिनियम के तहत एक विशेष अदालत के समक्ष एक आरोप पत्र भी दायर किया, जिसमें 124 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के साथ-साथ इन संपत्तियों को जब्त करने का अनुरोध किया गया था।

अधिकारी ने कहा कि ईडी द्वारा अब तक की गई जांच के परिणाम के आधार पर, अपराध की कुल प्रक्रिया (पीओसी) से 3,830 करोड़ रुपये का पता चला है, जिसमें से ईडी ने आदर्श ग्रुप ऑफ कंपनीज, रिद्धि सिद्धि ग्रुप ऑफ कंपनीज, वीरेंद्र मोदी ग्रुप ऑफ कंपनीज और अन्य से अब तक की 1,854.97 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है।

हरीक-उल-मुजाहिदीन के 7 आतंकवादियों के खिलाफ एनआईए ने दायर किया चार्जशीट

नई दिल्ली (आरएनएस)। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने तहरीक-उल-मुजाहिदीन (टीयूएम) द्वारा आपराधिक साजिश के सिलसिले में पुंछ में टीयूएम के सात आतंकवादियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। सभी आतंकियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 121ए, 122, आर्म्स एक्ट की धारा 7, 25, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3 और 4 और ,(क्क) अधिनियम की धारा 18, 38, 39 सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

एनआईए ने कोर्ट में दायर चार्जशीट में कहा गया है कि सातों आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं के इशारे पर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहे रहे। चार्जशीट में शामिल आतंकियों के नाम मोहम्मद मुस्तफा खान,मोहम्मद यासीन, मोहम्मद फारूक, मोहम्मद इबरार, मोहम्मद जाविद खान, शेर अली और मोहम्मद रफीक हैं। गौरतलब है कि इस मामले का खुलासा कुछ वक्त पहले मोहम्मद मुस्तफा खान की गिरफ्तारी के बाद हुआ। पुंछ जिले की मेंढर पुलिस ने उसे गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया था। उसके घर से पुलिस को आपत्तिजनक दस्तावेज सहित 6 हथगोले मिले थे।

गलत ट्रेन में चढ़ने का हुआ अहसास, 5 लोग ट्रेन से कूदे, 1 की मौत

झांसी (आरएनएस)। झांसी में गलत ट्रेन में सवार होने का अहसास होने पर पांच यात्रियों के ट्रेन से कूद जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान 33 वर्षीय अजय कुमार के रूप में हुई है, जो ट्रेन के पहिए के नीचे आ गया, जबकि घटना में उसके दो भाई-बहनों सहित चार अन्य घायल हो गए। पीड़ित झांसी स्टेशन पर गलत ट्रेन में सवार हो गए थे और स्टेशन से निकलते ही घबरा गए। आनन-फानन में वे सभी ट्रेन से कूद गए जिससे अजय की मौत हो गई।

घटना बीती शाम झांसी रेलवे स्टेशन से महज एक किलोमीटर की दूरी पर हुई। अजय अपने छोटे भाई-बहन विजय कुमार और संजय, चचेरे भाई संदीप कुमार और चाचा जगमोहन के साथ आंध्र प्रदेश के राजमुंदरी जा रहे थे। वे सभी आंध्र प्रदेश में एक निजी कंपनी में दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते हैं। विजय को गंभीर चोटें आई हैं और वह कोमा में है। बाकी तीन लोग मामूली रूप से घायल होने से बाल-बाल बचे।पांच में से एक संदीप कुमार ने कहा,कि वे गोरखपुर से बस में झांसी पहुंचे और राजमुंदरी के लिए ट्रेन में सवार होना था। लेकिन गलती से हम दिल्ली जाने वाली ट्रेन में सवार हो गए। झांसी संभाग के जीआरपी कर्मियों ने कहा कि

उन्हें घटना का एक संकटपूर्ण संदेश मिला है। सब-इंस्पेक्टर संदीप कुमार ने कहा, पांच लोग लगभग एक किलोमीटर की यात्रा के बाद ट्रेन से कूद गए थे। पीड़ित घबरा गए और गलती का एहसास होने के बाद ट्रेन से कूद गए। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, जबकि घायलों को झांसी के सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है।

कोरोना के सक्रीय मरीजों में आई भारी गिरावट, 83 दिनों में 80 फीसदी से कम हुए मामले

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 83 दिनों के निचले स्तर पर पहुंच गई है। फिलहाल कुल सक्रिय मामले 6,12,868 रह गए हैं। इससे पहले 1 अप्रैल को 6,10,929 सक्रिय मामले थे। तब से आंकड़ों में लगातार इजाफा हुआ था और 9 मई को यह 37 लाख के पार पहुंच गए थे। हालांकि तभी से गिरावट का दौर जारी है और उस पीक से तुलना करें तो एक्टिव केसों की संख्या में 80 फीसदी तक की कमी आई है।

❒ **पिछले एक दिन में साढ़े 64 हजार ने दी कोरोना को मात-** केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शुक्रवार को जारी आंकड़ो के अनुसार पिछले 24 घंटों में 51,667 नए केस मिले हैं, जबकि 64,527 लोग कोरोना से रिकवर हुए हैं। देश में अब तक 2,91,28,267 लोग कोरोना से अपनी जंग जीत चुके हैं। इसके साथ ही देश में रिकवरी रेट तेजी से बढ़ते हुए 96.66त्न हो चुका है। इसके अलावा वीकली पॉजिटिविटी रेट भी तेजी से घटते हुए 3 फीसदी पर आ गया है। यही नहीं डेली पॉजिटिविटी रेट तो 3 फीसदी से भी कम होते हुए 2.98त्न पर आ गया है। एक तरफ नए केसों में कमी, रिकवरी में तेजी और वैक्सीनेशन के गति पकड़ने के चलते यह स्थिति पैदा हुई है। यह लगातार ऐसा 43वां दिन है, जब नए केसों के मुकाबले रिकवर होने वाले लोगों की संख्या अधिक है।

❒ **डेल्टा प्लस वैरिएंट ने बढ़ाई चिंता-** देश में कोरोना की दूसरी लहर तेजी से ढलान की ओर है। लेकिन अब डेल्टा प्लस वैरिएंट के चलते चिंताएं बढ़ गई हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में इसके मामले बढ़े हैं। ऐसे में एक बार फिर खतरा बढ़ गया है और इस नए वैरिएंट के चलते कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका जताई जा रही है। कई रिपोर्ट्स में तो यह भी दावा किया गया है कि यह वैरिएंट टीकों के बाद भी शिकार बना सकता है। ऐसे में अब भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी हो गया है। देश के 500 से भी ज्यादा जिलों में कोरोना की संक्रमण दर पांच फीसदी से नीचे आ चुकी है। स्थिति यह है कि बीते 44 दिन में 90 फीसदी तक सक्त्रिस्य मामलों में कमी आई है। बावजूद इसके डेल्टा वैरिएंट के मामले कम नहीं हो रहे हैं।

❒ **96 फीसदी सैंपल में डेल्टा वैरिएंट-** केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में अभी तक 45 हजार सैंपल की सिक्वेसिंग हो चुकी है लेकिन अंतरराष्ट्रीय संगठन जीआईएसआईडी की वेबसाइट पर 28,150 सैंपल की जानकारी दी गई है।